न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 06/2020

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
श्री मंशा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा, तहसील–सिरोही, जिला–सिरोही (मृतक) के विधिक वारिसानः–
प्रतीक कुमार गर्ग गोदीपुत्र श्री मंशा, जाति–गर्ग, निवासी–रामपुरा, तह.व जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः
1.पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2.अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी प्रतीक कुमार गर्ग की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 15 अप्रेल, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1839 दिनांक 24.9.2020 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के वर्तमान खाता संख्या 135 खसरा संख्या 174 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म बारानी–प्रथम भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर श्री मंशा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा को हुआ था। उक्त भूमि के पुराने खसरा संख्या 80 रकबा 2.08 बीघा है। यह कि खसरा गिरादावरी संवत 2032–2043 के अनुसार आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नही की गई है एवं न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटिती का संवत 2032 से 2043 तक उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री मंशा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा को नोटिस जारी कर तहसीलदार, सिरोही के माध्यम से तामिली हेतु भिजवाया गया, जो उसके मृत्यु की सूचना के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ। जिस पर प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांकःराजस्व/2021/782 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा मृतक अप्रार्थी श्री मंशा पुत्र ताराजी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा के विधिक वारिसान प्रतीक कुमार गोदीपुत्र मंशा जी को पक्षकार बनाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर मृतक अप्रार्थी श्री मंशा पुत्र ताराजी, जाति– गुरु के विधिक वारिसान प्रतीक कुमार गोदीपुत्र मंशाजी को सम्मन बनाम कायम कायम मुकाम जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान मृतक अप्रार्थी मंशा जी पुत्र ताराजी के विधिक वारिसान प्रतीक कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। प्रकरण में बाद सुनवाई प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर मृतक अप्रार्थी मंशा जी पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा के विधिक वारिसान प्रतीक कुमार गर्ग गोदीपुत्र मंछाजी, जाति– गर्ग, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही को रेकर्ड पर लिया जाकर पक्षकार बनाया जाने के आदेश पारित किये। प्रकरण में अप्रार्थी प्रतीक कुमार की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

......पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री मंशा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा को ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के पुराने खसरा संख्या 80 रकबा 2.08 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 174 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम है) का गैर खातेदारी के तौर पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। यह कि उक्त आवंटित भूमि पर संवत 2032–2043 तक आवंटिती का कब्जा–काश्त नही रहा है। आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है एवं न ही मौके पर कब्जा है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2073–206 में बतौर श्री मंछा पुत्र ताराजी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा के नाम से गैर खातेदार दर्ज है। आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी प्रतीक कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त 2017 RBJ Page 31-35, RBJ(8) 2001 Page 125-129 & 593-595, RBJ (13) 2006 Page 216-222, RBJ (13) 2006 Page 11-15, 2020 RBJ 648-650, RBJ 2020 Page 765-768 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के वर्तमान खाता संख्या 135 खसरा संख्या 174 रकबा 0.399 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि (जिसके पुराने खसरा संख्या 80 रकबा 2.08 बीघा है) का अप्रार्थी के गोदीपिता श्री मंछा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी तौर आवंटन किया जाकर मौके पर कब्जा सुपर्द किया था, तब से उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती श्री मंछा पुत्र तारा जी का लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा था तथा श्री मंछा पुत्र तारा जी की मृत्यु के बाद उनके गोदीपुत्र प्रतीत कुमार गर्ग का कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर आज भी काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर बरसाती खेती की जाती है एवं विगत कुछ वर्षो में बारीश कम होने वजह से उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही हो पाई है। आवंटित भूमि मौके पर समतल व काश्त योग्य है। मौके पर अप्रार्थी का अपने पूर्व रसाधिकारी मंछा पुत्र ताराजी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा के जरिये संवत 2032 से अर्थात् गत 48 वर्ष से कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा 48 वर्ष पुराने कब्जे काश्त की भूमि के आवंटन को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। यदि हल्का पटवारी, रामपुरा द्वारा खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज नही की गई है तो इस आधार पर आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। हल्का पटवारी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त की मौके पर आकर गिरदावरी नही की गई है, केवल कार्यालय में बैठकर खसरा गिरदावरी में काश्त नही होना दर्ज किया है। हल्का पटवारी, रामपुरा द्वारा खसरा गिरदावरी में काश्त नही होने का गलत तथ्य अंकित किया है। अप्रार्थी प्रतीक कुमार के गोदीपिता मंछा पुत्र ताराजी भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण भूमि आवंटन कराने की पात्रता रखते थे एवं पात्रता के आधार पर ही आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उक्त भूमि का अप्रार्थी के पिता मंछा पुत्र ताराजी गुरु, निवासी– रामपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। अप्रार्थी प्रतीत कुमार के पिता ने काफी रकम खर्च कर भूमि का काश्त योग्य बनाया है। अप्रार्थीभूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास कृषि एवं आजीविका हेतु अन्य कोई भूमि नही है। अप्रार्थी के गोदीपिता मंछा पुत्र ताराजी का उनके जीवनकाल में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है एवं श्री मंछा पुत्र ताराजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी प्रतीक कुमार का मौके पर कब्जा–काश्त है। अप्रार्थी के गोदीपिता मंछा पुत्र ताराजी गुरु एवं अप्रार्थी प्रतीक कुमार द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन नही किया गया है। कानूनन आवंटन के 10 वर्ष बाद [illegible] भूमि पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

उत्पन्न हो जाते है तथा भूमि आवंटन होने के 10 वर्ष बाद आवंटन को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं उक्त आवंटित भूमि के अप्रार्थी प्रतीक कुमार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि श्री मंछा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा को ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा, तहसील– सिरोही के पुराने खसरा संख्या 80 रकबा 2.08 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 135 खसरा संख्या 174 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम है) का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जिस पर उक्त आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण आवंटिती श्री मंछा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। उक्त आवंटित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में आवंटिती श्री मंछा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का यह कथन है कि खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2043 तक के अनुसार आवंटिती द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, रामपुरा एवं भू अभिलेख निरीक्षक, रामपुरा की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 25.8.2020 अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती मंछा पुत्र ताराजी गुरु अथवा उसके परिवारजन द्वारा काश्त नही की गई है एवं उक्त भूमि हमेशा से ही पडत है, जिसके कुछ भाग पर बबूल की झाडियां खडी है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2032 से 2076 की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है।

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त आवंटित भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है, जिसके मौके पर कब्जा–काश्त नही है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर श्री मंछा पुत्र तारा जी, जाति– गुरु, निवासी– रामपुरा को ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के पुराने खसरा संख्या 80 रकबा 2.08 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 174 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम है) भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15 अप्रेल, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested